डीजी परिपत्र सं0 - 44 /2024

प्रशान्त कुमार, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.:0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.:0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांकः नवम्बर 21,2024

विषयः आपराधिक क्रियाकलाप से सम्बन्धित या अर्जित सम्पत्ति के अधिग्रहण या कुर्की के सम्बन्ध में बीएनएसएस-2023 की धारा-107 में वर्णित प्राविधानों के अनुपालनार्थ मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का निर्धारण।

प्रिय महोदया/महोदय,

आप सभी अवगत है कि भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित नवीन आपराधिक कानूनों को दिनांक 01.07.2024 से सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया है। प्रख्यापित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में धारा-107 को जोड़ा गया है, जो आपराधिक क्रियाकलाप से सम्बन्धित या अर्जित सम्पत्ति के अधिग्रहण या कुर्की के सम्बन्ध में है। बीएनएसएस-2023 लागू होने से पूर्व अपराध की आय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति के अधिग्रहण अथवा कुर्की सम्बन्धी प्राविधान दण्ड प्रक्रिया संहिता में नहीं थे। कुछ विशेष अधिनियमों यथा PMLA, उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम आदि में ही इस प्रकार की सम्पत्ति को जब्त किये जाने का प्राविधान था।

2- बीएनएसएस-2023 की धारा-107 में यह व्यवस्था की गयी है कि विवेचनाधिकारी को विवेचना के दौरान विश्वसनीय रूप से यह तथ्य संज्ञान में आता है कि अभियुक्त ने आपराधिक कृत्य के माध्यम से वह ऐसी सम्पत्ति के अधिग्रहण / कुर्की के लिये क्षेत्राधिकारिता रखने वाले विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। धारा-107 में दी गयी उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग विवचकों द्वारा निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा—

I. विवेचना के दौरान यदि विवेचक को यह समाधान हो जाता है कि अभियुक्त द्वारा आपराधिक कृत्य के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति का अर्जन किया गया है तो वह पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस आयुक्त के अनुमोदन के उपरान्त मा0 न्यायालय में बीएनएसएस की धारा-107 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करेगा। विवेचनाधिकारी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने से पहले यह ज्ञात करने का पूर्ण प्रयास करेगा कि सम्बन्धित सम्पत्ति अपराध के आय से किस प्रकार जुड़ी हुयी है, इसके लिये विवेचनाधिकारी अभियुक्त के आय के स्रोत, आयकर रिटर्न, खरीदी गयी सम्पत्ति के भुगतान के तरीके आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण करेगा।

II. विवेचनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अभियुक्त को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया जायेगा। यदि विवेचनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में वर्णित सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित बतायी गयी है तो नोटिस की प्रति उस व्यक्ति को भी तामील की जायेगी।

III. सम्बन्धित न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस के प्रतिउत्तर में प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण पर विचार कर सम्बन्धित सम्पत्ति के कुर्की/अधिग्रहण का आदेश पारित कर सकेगा। यदि अभियुक्त द्वारा 14 दिवस के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर नहीं प्रस्तुत किया जाता तो मा0 न्यायालय द्वारा एक पक्षीय आदेश भी पारित किया जा सकता है।

IV. धारा-107(5) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये मा0 न्यायालय द्वारा बिना नोटिस निर्गत किये कुर्की / अधिग्रहण हेतु एक पक्षीय अन्तरिम आदेश पारित किया जा सकता है। अन्तरिम आदेश धारा-107(6) के अन्तर्गत अंतिम आदेश पारित होने तक लागू रहेगा।

V. यदि मा0 न्यायालय द्वारा सम्पत्ति को आपराधिक कृत्य के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित की हुई सम्पत्ति मानते हुये धारा-107(6) के अन्तर्गत आदेश पारित करता है तो वह आय को अपराध से प्रभावित व्यक्तियों को समानुपातिक रूप से वितरित करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित करेगा।

VI. जिला मजिस्ट्रेट आदेश प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर आपराधिक कृत्य के माध्यम से अर्जित की गयी सम्पत्ति का वितरण अपराध से प्रभावित व्यक्तियों के मध्य कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

VII. यदि ऐसी आय प्राप्त करने के लिए कोई दावेदार नहीं है या कोई दावेदार निश्चित नहीं है या दावेदारों को संतुष्ट करने के बाद कोई अधिशेष है, तो अपराध की ऐसी आय सरकार के पास जब्त हो जाएगी।

मैं चाहूँगा कि आप सभी बीएनएसएस की धारा-107 में वर्णित उपरोक्त प्राविधानों का भली-भाँति अध्ययन करके जनपद में एक कार्यशाला के माध्यम से वर्णित उपरोतांक्ति प्राविधानों से अपने अधीनस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों / थानाध्यक्षों / विवेचनाधिकारियों को विस्तार से अवगत कराते हुये बीएनएसएस-2023 में जोड़े गये इस नये प्राविधान का उपयोग करने हेतु अपने अधीनस्थों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

21.X1.2

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—</u>

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।